अध्याय IX : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

9.1 कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान योजना 1952 के उल्लघंन में सत्यजीत रे फिल्म एंव टेलीविजन संस्थान, कोलकाता ने अपने 89 कर्मचारियों के संबंध में ₹1.89 करोड़ का अधिक भविष्य निधि अंशदान जमा किया।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान योजना, 1952 (योजना) का पैरा 29 (1) प्रावधान करता है कि नियोक्ता द्वारा योजना के अंतर्गत देय अंशदान प्रत्येक कर्मचारी, जिस पर यह योजना लागू है, के देय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, का 12 *प्रतिशत* होगा। योजना का पैरा 26 (ए)(2) आगे अनुबंध करता है कि कर्मचारी तथा नियोक्ता द्वारा देय अंशदान ₹6,500 (01 सितंबर 2014 से ₹15000 तक बढ़ाया गया) के मासिक वेतन पर देय राशि तक सीमित होगा। योजना का पैरा 29(2) अनुबंध करता है कि एक कर्मचारी, जिस पर योजना लागू है, द्वारा देय अंशदान, यदि वो इच्छुक हो, तो इस शर्त कि नियोक्ता योजना के अंतर्गत देय अपने अंशदान से अधिक कोई अंशदान अदा करने को बाध्य नहीं होगा, के तहत उपर्युक्त सीमा से अधिक राशि होगी।

एसआरएफटीआई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक शैक्षिक संस्थान, सहायता अनुदान के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है। संस्थान के उपनियम प्रावधान करता है कि इसके कर्मचारियों की भविष्य निधि को योजना द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा। योजना के अनुसार, वेतन के 12 *प्रतिशत* में से 8.33 *प्रतिशत* कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जमा किया जाता है तथा शेष 3.67 *प्रतिशत* कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंतरित किया जाता है। तदनुसार, संस्थान को अपने उन कर्मचारियों जो ₹15,000 प्रति माह से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहे थे, के संबंध में अपने

नियोक्ता के अंशदान को ₹1,800 प्रति माह अर्थात ₹15,000 प्रति माह की अधिकतम वेतन सीमा का 12 *प्रतिशत* तक सीमित करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने कर्मचारियों की भविष्य निधि में अपना अंश ₹15,000 की अधिकतम वेतन सीमा तक सीमित करने के बजाए कुल वेतन के 12 *प्रतिशत* की दर से जमा किया। यद्यपि, नियोक्ता के कुल अंशदान के ईपीएफ का अंश ₹15,000 के अधिकतम वेतन का 8.33 *प्रतिशत* था फिर भी पूर्ण शेष राशि अर्थात वास्तविक वेतन का 12 *प्रतिशत* जिसका तात्पर्य है ₹15,000 से अधिक वेतन (-) 8.33 *प्रतिशत*, ₹15,000 की वेतन सीमा का ईपीएफ में अंतरित किया गया था जिसका परिणाम अप्रैल 2015 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों, जो योजना के सदस्य थे तथा ₹15000 से अधिक मासिक वेतन प्राप्त कर रहे थे, के संबंध में भविष्य निधि के नियोक्ता के अंश के प्रति ₹1.89 करोड़ के अधिक अशंदान में हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि एसआरएफटीआई ने केवल अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योजना को अपनाने हेतु ही अपने शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया था। तथापि, अधिकतम वेतन सीमा से अधिक समान अंशदान (ईपीएफ के प्रति एसआरएफटीआई का अंश) के भुगतान को पूर्व सहमति/ उस पर अनुमोदन हेतु न तो अपनी शासी परिषद और न ही मंत्रालय (एमआईबी)/इपीएफओ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना के पैरा 26(6) के अनुसार अंशदान को बढ़ाने की प्रक्रिया अनुबंध करती है कि एक अधिकारी जो सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद के नीचे न हो, किसी भी कर्मचारी तथा उसके नियोक्ता के लिखित संयुक्त अनुरोध पर उसको निर्धारित राशि से अधिक अंशदान करने को अनुमत करेगा। तथापि, इस वर्तमान मामले में पूर्व सूचना/संयुक्त अनुरोध नहीं किया गया था। इस प्रकार, एसआरएफटीआई ने उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना निर्धारित सीमा से अधिक इपीएफ अंशदान के प्रति नियोक्ता का अंश अदा करना जारी रखा।

उत्तर में, एसआरएफटीआई ने बताया (मार्च 2020) कि नियोक्ता का अंशदान अक्तूबर 1997 में इपीएफओ के साथ इसके पंजीकरण के समय से प्रारम्भ से अदा किया जा रहा है। इसने नियोक्ता की ओर से मूल वेतन सहित मंहगाई भत्ता के 12 *प्रतिशत* के समान अंशदान को अदा किया क्योंकि वेतन के

नियोक्ता के अंशदान पर कोई ऐसा प्रतिबंध/सीमा नहीं है। तथापि उसने बताया कि मामले को उचित समय पर स्थायी वित्त समिति/शासक परिषद के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पैरा 26ए(2) नियोक्ता को पैरा 29(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक अंशदान की शक्ति प्रदान नहीं करता है तथा पैरा 26(6) में अनुमत अंशदान की वृद्धि की छूट कर्मचारी के अंशदान के लिए है न कि नियोक्ता के अंशदान के लिए है।

मंत्रालय (जनवरी 2021) ने एसआरएफटीआई को भी निदेश दिया कि वापस तत्काल प्रभाव से प्रति माह 1800 की अधिकतम सीमा तक वेतन के 12 प्रतिशत पर नियोक्ता (एसआरएफटीआई) के समान अंशदान करें।